कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कमाक :–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/12128/डीपीसी/2020 दिनांकः– 20-05-2020

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, संभाग, मुख्यालय

विषयः– रिव्यू डीपीसी के प्रकरणों के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– शासन का पत्रांक प.7(67)शिक्षा–2/2019 जयपुर दिनांक 14/05/2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन के पत्र दिनांक 14/05/2020 की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि रिव्यू डीपीसी के प्रस्तावों को प्रेषित करते समय शासन के निर्देशों की पालना की जानी सुनिश्चित करावें। साथ ही इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–3/13322/परीक्षा अनुज्ञा/2020/106 दिनांक 27/01/2020 की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषयों में अध्ययन/सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की कठोरता से पालना की जानी सुनिश्चित करावें एवं अनुज्ञा प्राप्त कार्मिक द्वारा अर्जित योग्यता का अंकन कार्मिक के सेवा अभिलेख एवं शाला दपर्ण पोर्टल पर तत्समय किया जाना सुनिश्चित करावें।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र दिनांक 27/01/2020 की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषयों में अध्ययन/सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की कठोरता से पालना की जानी सुनिश्चित करावें एवं अनुज्ञा प्राप्त कार्मिक के योग्यता अर्जित करते ही अर्जित योग्यता का अंकन कार्मिक के सेवा अभिलेख एवं शाला दपर्ण पोर्टल पर तत्समय किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक को पत्र दिनांक 27/01/2020 की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषयों में अध्ययन/ सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की कठोरता से पालना की जानी सुनिश्चित करावें एवं अनुज्ञा प्राप्त कार्मिक के योग्यता अर्जित करते ही अर्जित योग्यता का अंकन कार्मिक के सेवा अभिलेख एवं शाला दपर्ण पोर्टल पर तत्समय किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

15/05/2020 OAC

(125) 6

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 7(67)शिक्षा–2/2019 जयपुर, दिनांक : 14/05/2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : रिव्यू डीपीसी के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः यह देखा गया है कि रिव्यू डीपीसी के प्रकरण शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते है। रिव्यू डीपीसी हेतु शासन को प्रकरण प्रेषित किये जाने के निम्नांकित प्रावधान है :–

1. विभागीय पदोन्नति की सिफारिशों के पुनर्विलोकन के सुसंगत प्रावधान निम्न प्रकार से है :–

"सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख से प्रकट किसी गलती या भूल के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक भूल के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निर्देश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उनमें परिवर्तन कर दिया गया है या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियो के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग और आयोग (जहां आयोग सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।"

2. इस प्रकार सम्बन्धित प्राधिकारी को निम्न स्थितियों के आधार पर समाधान हो जावे तो सम्पादित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का पुनर्विलोकन किये जाने हेतु आदेश प्रसारित करने हेतु प्रशासनिक निर्णय ले सकते हैं:–

- अभिलेख से प्रकट किसी गलती के कारण
- अभिलेख से प्रकट भूल के कारण
- समिति के विनिश्चय को सारवान रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक भूल के कारण
- अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से, यथा–
  - *(i)* वरिष्ठता में परिवर्तन
  - *(ii)* रिक्तियों का गलत अवधारण
  - *(iii)* किसी न्यायालय/अधिकरण का निर्णय/आदेश
  - *(iv)* कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रतिकूल प्रविष्टि समाप्त हो गई हो
  - *(v)* दण्डादेश अपास्त/परिवर्तित/कम कर दिया गया हो
  - *(vi)* अभ्यर्थी के नाम में रही त्रुटि के कारण

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

(126)

3. विभागीय पदोन्नति समिति के पुनर्विलोकन हेतु कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति ली जानी होगी और यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुमति लिया जाना आवश्यक हो तो आयोग की अनुमति भी ली जानी आवश्यक होगी। इस हेतु शासन उप सचिव स्तर के अधिकारी से हस्ताक्षरित एवं प्रशासनिक विभाग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक सकारण तथ्यात्मक पुनर्विलोकन टिप्पणी (detailed self contained review note) भी प्रस्ताव के साथ भेजा जाए।
4. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक राजसेवकों के सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण स्थगित (defer) की गई हो तो इस प्रकार के प्रकरणों के पुनर्विलोकन हेतु कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होगी।
5. जिन प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होते समय तक प्रतिकूल प्रविष्टियों के संदर्भ में राजसेवक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो अथवा राजसेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होकर के उस पर समुचित निर्णय नहीं लिया गया हो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के राजसेवकों के संदर्भ में उनके लिये पद आरक्षित रखते हुये पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित (defer) कर दी जाने का अधिकार विभागीय पदोन्नति समिति को दिया गया है। इस प्रकार के प्रकरणों में ज्यों ही प्रतिकूल प्रविष्टियों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित निर्णय अन्तिम रूप से लिया जाए और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाए तो कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण किसी राजसेवक को पदोन्नति से वंचित रखा गया हो, परन्तु बाद में उन प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटा दिया जाए तो उस वर्ष के चयन की पुनरीक्षा की जाए जिसमें उसके निकटतम कनिष्ठ राजसेवक को पदोन्नति दे दी गई थी और इस राजसेवक को उसी वर्ष से पदोन्नति दी जाए तथा उसी दिनांक से वेतन निर्धारण भी किया जाए, परन्तु उसकी पदोन्नति से वंचित रही कालावधि का पूर्ण वेतन भुगतान किया जाए अथवा नहीं, इसका सकारण निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जाए जिसमें यह देखा जाए कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के विलोपन सहित पुनर्विलोकन का जो भी कारण है, वह तथ्यात्मक है या शंका के लाभ के तौर पर।
7. अनिवार्य सेवा निवृत्त राजसेवक जो सेवा में आ गये हों –

   कुछ राजसेवक नियमों में विहित प्रकिया के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये जाने के बाद पश्चात्वर्ती कार्यवाही के परिणाम स्वरूप राजकीय सेवा में पुनः ले लिये जाते हैं। सम्भव है कि उस अवधि में जबकि वे राजकीय सेवा से बाहर रहे हैं उनकी पदोन्नति के संदर्भ में राजकीय सेवा से बाहर होने के कारण विचार नहीं हो सका हो। इस प्रकार के राजसेवकों के प्रकरणों का पुनर्विलोकन किया जाए और यदि उनका पूर्व का अभिलेख पदोन्नति योग्य पाया जाए तो उन्हें पदोन्नति दी जाए। लेकिन इस प्रकार का पुनर्विलोकन उनके सम्बन्ध में राजकीय निर्णय के अनुसार सम्पन्न होगा, अर्थात् यदि सेवा में बहाली पूर्ण सेवा परिलाभ देते हुए हुई है तो पदोन्नति भी हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं की जाती है। परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि शिक्षक की योग्यता दर्ज करने में विलम्ब (विलम्ब शिक्षक की आर से हुआ या

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

विभाग की ओर से) के कारण रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। उक्त प्रस्तावों में यह भी तय नहीं किया जाता है कि योग्यता दर्ज करने में विलम्ब किस स्तर पर हुआ है। कतिपय यह भी देखा गया है कि शिक्षक द्वारा उच्च योग्यता अर्जित करने हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है तथा उच्च योग्यता अर्जित करने के पश्चात् कार्योत्तर अनुमोदन हेतु आवेदन किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में भी लापरवाही की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। नियमित डीपीसी हो जाने के पश्चात् शिक्षक द्वारा योग्यता दर्ज करवाने का आवेदन किया जाता है और इस आधार पर योग्यता दर्ज कर रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जाते हैं।

उक्त के अतिरिक्त वरिष्ठता में संहवन से/कार्यग्रहण की सूचना नहीं होने के कारण नाम छूटने भी रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। किसी भी कार्मिक की वरिष्ठता एक बार बनती है। वरिष्ठता में से नाम छूटना उस कार्मिक के प्रति किये गये अन्याय को प्रदर्शित करता है तथा कार्मिक ने कार्यग्रहण किया अथवा नहीं की सूचना संस्थापन के पास नहीं होना संस्थापन की लापरवाही प्रदर्शित करता है। वर्तमान में शालादर्पण पोर्टल से ऑनलाईन जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं कि कार्मिक कहाँ पर पदस्थापित है। इस प्रकार के प्रकरणों में भी जिम्मेदारी तय किये बिना रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है।

रिव्यू डीपीसी के प्रकरणों में उक्त लापरवाहियों की जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस कारण रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व लापरवाही किस स्तर पर हुई है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी तय करें एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। लापरवाही विभाग स्तर पर होने की स्थिति में ही रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।

जहाँ तक प्रश्न नियमित डीपीसी के पश्चात् योग्यता दर्ज करने का है तो इस सम्बन्ध में पूर्ण परीक्षण कर योग्यता दर्ज की जावे–यथा शिक्षक द्वारा उच्च योग्यता प्राप्ति हेतु विभाग की अनुमति प्राप्त की थी अथवा नहीं, योग्यता दर्ज किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि में निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया था अथवा नहीं, यदि शिक्षक द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया था तो विभाग में किस स्तर पर विलम्ब हुआ इसकी जिम्मेदारी तय की जावे।

उल्लेखनीय है कि शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षक की समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। शाला दर्पण पोर्टल को वरिष्ठता से सम्बन्धित किये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जावे ताकि वरिष्ठता पर आपत्ति ऑनलाईन प्राप्त की जाकर उसका निर्धारण किया जावें। यदि शिक्षक/कार्मिक की योग्यता नियमानुसार शाला दर्पण पर दर्ज नहीं है तो इसके लिये सम्बन्धित शिक्षक/कार्मिक तथा संस्था प्रधान जिम्मेदार होगें।

भवदीय

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव

Scanned by CamScanner

(12)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था/एफ–3/13322/परीक्षा अनुज्ञा/2020/106 दिनांकः 27.01.2020

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
(स्कूल शिक्षा),
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषयः– उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषयों मे अध्ययन/ सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक समकक्ष संवर्ग के अनेक कार्मिकों के उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषयों मे अध्ययन/सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के संबंध में प्रकरण निदेशालय में भिजवायें जाते है, उस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त पदों के नियुक्ति अधिकारी प्रकरण शिक्षा निदेशालय नही भिजवाकर अपने स्तर पर आचरण सेवा नियम–1971 के नियम–17 में उल्लेखित बिन्दु संख्या–4 व राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.9(5)(30)कार्मिक/क–3/ जॉच/2004 दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्नांकित शर्तों के अंतर्गत अनुज्ञा जारी करेंगे–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(नूतन बाला कपिला)
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com